न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/119/2021	2021/283	17.09.2021	21.06.2022

–उनवान–

1. नेहा यादव पुत्री राजवीर, जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना, जिला अलवर राजस्थान।
2. गौरव यादव पत्रु राजवीर, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान वादीगण नाबालिग जरिये सरपरस्त माता श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री राजवीर जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी, तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सहीराम पुत्र जगन जाति अहीर।
2. राजवीर पुत्र सहीराम जाति अहीर।
3. संदीप पुत्र सहीराम जाति अहीर।
4. मनता पुत्री सहीराम जाति अहीर।
5. मनोज पुत्र सहीराम जाति अहीर, निवासीयान ग्राम सिरयानी, तहसील नीमराना जिला अलवर राज0
6. उपपंजीयक नीमराना।
7. तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री दलेरसिंह **–वकील अप्रार्थी नं0 6**

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान नेहा यादव वगै0 बनाम सहीराम वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद नेहा यादव वगै0 बनाम सहीराम वगै0 प्रकरण सं0 219/2021 विचाराधीन है। जिसमें पेशी दिनांक 18.09.2021 नियत थी। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद बाबत पैतृक आराजी हाल खसरा नं0 857, 858, 961, 962, 973, 975, 583, 926, 1078, 1079, 1136, 960, 218, 1094, 1095, 1096 वाके ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना बाबत पेश किया गया है। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रभावशाली वयक्ति है। स्थगन होने के उपरान्त प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि उसने पीठासीन अधिकारी से बातचीत करली है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 28.09.2021 नियत थी, जिसमें पीठासीन अधिकारी से बातचीत कर जल्दी तारीख पेशी नियत करने का प्रार्थनापत्र पेश कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र पर 28.09.2021 के स्थान पर दिनांक 30.09.2021 तारीख पेशी नियत की गई। तथा धमकी दी गई कि शीघ्र ही उक्त स्थगन को निरस्त करवाकर उक्त आराजी को दीगर व्यक्ति को विक्रय करके रहेगें। उक्त स्थिती

जिला कलक्टर अलवर (राज0)

में यदि स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया, तो प्रार्थीगण को भारी नापूर्ती होने वाली क्षती होगी। पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश खारीज करने की इच्छा जाहिर कर दी है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित तथ्य बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख दी जाकर प्रदत्त नियमों के तहत विधिवत् सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थीगण का स्थानीय नेताओं से कोई लेना–देना नहीं है और ना ही न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थनी ने वाद इस्तकरारहक, तकसीम आराजी व हुक्मइम्तनाईदवामी पेश किया है। जिसमें प्रार्थना पत्र 212 आर. टी.एक्ट में दिनांक 17.08.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। प्रार्थनी द्वारा बनावटी व मनगढंत तथ्य अंकित किये है। फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी नीमराना प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)